



अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 54/2018-17
बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से


संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/5/19	<p>आदेश फलक झारखंड सरकार के झापाक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा- <u>आभावाला</u> मौजा न०- <u>०९</u> खाता न० <u>२८</u> प्लॉट न० <u>१६२</u> रकबा <u>०५५६।</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-॥ के जिल्द संख्या <u>०२</u> के पृष्ठ संख्या <u>१९४</u> पर जमाबंदी रयत <u>श्रीमती मालती देवी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक <u>27/3/19</u> को रखे।</p>	<p>अभियुक्ति</p> <p style="text-align: right;">  <u>13.3.19</u> अंचल अधिकारी, धनबाद। </p>

अभिलेख उपस्थापित अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनबाद।

10/4/19
अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनबाद।


10/6/20
अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक
20/6/20 को रखे।



अचल अधिकारी
धनबाद।

20/6/20
अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा
साहावादा मौजा नं० 09 खाता 28 प्लॉट
नं० 182 रकबा 51.0000 भूमि से संबंधित है। आवंटित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमावदी रैयत
के खोज बिन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति रालग्न)। आवंटित
भूमि दाखिल खारिज केस नं० 1112 (11) 12-93 के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमावदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमावदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।


20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।


20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।